

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,  
प्रधान सचिव।

ई-मेल/  
फैक्स

सेवा में,

निदेशक, चकबंदी/सभी समाहर्ता/सभी समाहर्ता-सह-  
बन्दोबस्त पदाधिकारी/निदेशक, भू-अर्जन, बिहार।

विषय :-

पटना-15, दिनांक-  
विभागीय अधिसूचना सं०-56(3)/रा०, दिनांक-20.02.2019 द्वारा स्थानांतरित  
पदाधिकारियों को विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के आलोक में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेशानुसार विभागीय अधिसूचना सं०-56(3)/रा०, दिनांक-20.02.2019 के द्वारा विभिन्न अंचल अधिकारियों/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों/चकबंदी पदाधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के आलोक में सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों को नव पदस्थापित स्थान पर दिनांक-25.02.2019 तक योगदान दिया जाना अनिवार्य है।

अतः निदेश दिया जाता है कि विभागीय अधिसूचना सं०-56(3)/रा०, दिनांक-20.02.2019 द्वारा स्थानांतरित सभी पदाधिकारियों को नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु अविलम्ब विरमित करते हुए दिनांक-25.02.2019 तक योगदान कराना सुनिश्चित किया जाय। दिनांक-25.02.2019 तक नव पदस्थापन स्थान पर योगदान नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)  
प्रधान सचिव।

ई-मेल/  
फैक्स

ज्ञापांक-03/स्थापदस्थापन-25/2018-

57 (3)/रा०, पटना-15, दिनांक-20/02/19

प्रतिलिपि :-सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

95/2019  
(ब्रजेश मेहरोत्रा)  
प्रधान सचिव।